



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28454

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3624/2026

मोहम्मद अहमद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : बाज़िर सिंह यादव, कमलेश कुमार सिंह, विवेक कुशवाहा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल प्रत्यर्थी संख्या-2/अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मंडल वाराणसी को पुनरीक्षण (रिवीजन) संख्या 3194/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202514000003194) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने तक सीमित रखा।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या-2/अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मंडल वाराणसी को उपर्युक्त पुनरीक्षण को कानून के अनुसार कड़ाई से, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"